कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/निरीक्षण प्रकोष्ठ/22418/शिविरा पंचांग/2023–24 दिनांकः 22.06.2023

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा ।

विषय :– शिविरा पंचांग वर्ष : 2023–24।
प्रसंग :– शासन का पत्रांक : प.33(1)शिक्षा–1/2023 जयपुर, दिनांक : 20.06.2023

प्रासंगिक शासकीय स्वीकृति के क्रम में शिविरा पंचाग वर्ष : 2023–24 (अवधि : 01 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक) का शिविरा पंचांग पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। पंचांग के अनुरूप क्षेत्राधिकार में समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय संचालन/विभागीय क्रियाकलापों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन/क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

आगामी शैक्षणिक सत्र 2023–24 का सत्रारंभ 26 जून, 2023 (सोमवार) से व शिक्षण कार्य एवं विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति 01 जुलाई, 2023 से की जाएगी.

संलग्न : यथोपरि ।

(काना राम)
आइ.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. वरिष्ठ सम्पादक शिविरा, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक/प्रारम्भिक।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा ।
12. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर ।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.06.22 18:49:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4112876

शिक्षा विभाग, राजस्थान
पंचांग: 2023—2024

राजस्थान के प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों/विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2023—2024 का यह शिविरा पंचांग प्रस्तुत है। इसके अनुसार ही सत्रपर्यन्त विद्यालयी कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन अनिवार्य है। किसी विशेष अवसर अथवा कार्यक्रम पर यदि किसी संस्था प्रधान को कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, तो वह परिवर्तन सम्बन्धी निवेदन अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—प्रारम्भिक/माध्यमिक को प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)—प्रारम्भिक/माध्यमिक मांग के औचित्य की जांच करेंगे तथा उनकी अनुशंषा पर निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की स्वीकृति के बाद ही संस्था प्रधान द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

➢ **सामान्य निर्देश :—**

1. शिक्षण सत्रः 2023—2024 दिनांक **26 जून, 2023** से आरम्भ है तथा सामान्य प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ होगी।
2. प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2023 अथवा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद तक रहेगी। (माध्यमिक कक्षाओं हेतु)
3. व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार प्रसार एवं नवीन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्य 26 से 30 जून, 2023 तक किया जाए।
4. अनामांकित एवं ड्रॉप आउट विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित किए जाए।
5. मध्यावधि अवकाश 07 से 19 नवम्बर, 2023 तक रहेगा।
6. शीतकालीन अवकाश 25 दिसम्बर, 2023 से 5 जनवरी, 2024 तक रहेगा।
7. ग्रीष्मावकाश 17 मई, 2024 से 23 जून, 2024 तक रहेगा।
8. वार्षिक परीक्षा/बोर्ड परीक्षा में अंतिम परीक्षा होने के उपरान्त विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाए। नवीन सत्र 01 मई 2024 से प्रारम्भ तथा 01 से 16 मई प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण होगा।
9. दिनांक : 24 जून से 30 जून, 2024 की अवधि में प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण का आयोजन होगा। इस अवधि में संस्था प्रधान एवं शिक्षकगण हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर अब तक प्रवेश से वंचित/हार्ड कोर समूह के बच्चों का प्रवेश विद्यालय/आंगनबाड़ी में करवाए जाने हेतु विशिष्ट कार्य योजना के तहत नामांकन वृद्धि अभियान संचालित करेंगे। संस्था प्रधान द्वारा समस्त स्टाफ से नवीन समय विभाग चक्र के अनुरूप सम्पूर्ण शैक्षिक सत्र के लिए कक्षा शिक्षण हेतु विषय योजना का निर्माण करवाया जाकर योजना का परिवीक्षण किया जाएगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को टी0सी0/नव प्रवेशित विद्यार्थियों का एस.आर. रजिस्टर में पंजीयन सम्बन्धी कार्यों का समुचित निष्पादन किया जाएगा।)
10. केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे।
11. यदि किसी क्षेत्र विशेष अथवा वर्ग विशेष/कारण विशेष को आधार बनाकर या किसी विशेष दिन का सेक्शनल/रीजनल अवकाश/स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाये तो वह अवकाश सम्बन्धित वर्ग के विद्यालयों/उन विशिष्ट क्षेत्रों पर ही लागू होगा अन्य वर्ग के विद्यालयों पर उक्त अवकाश लागू नहीं रहेंगे।
12. शिविरा पंचांग एवं राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लेखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को सही मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संशोधन माना जाए।

13. सत्रारम्भ एवं सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्पीठ का आयोजन शिविरा पंचांग में निर्धारित अवधि में ही करवाया जाना आवश्यक होगा। उक्त आयोजन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन निदेशक, प्रारम्भिक/ माध्यमिक शिक्षा की अनुमति बिना नहीं किया जा सकेगा।
14. बाल सभाओं में वृहद और सामुदायिक बाल सभाओं में बाल संरक्षण के तहत बाल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए तथा बाल विवाह के दुष्परिणाम व बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी जाए तथा सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाए। इसी प्रकार पीटीएम व एसडीएमसी की बैठकों में भी जन समुदाय के साथ उक्त बाबत् चर्चा की ज़ाए।
15. बाल–सभाओं/पीटीएम/एसएमसी/एसडीएमसी की बैठकों में "तम्बाकू निषेध क्षेत्र" , तम्बाकू मुक्त विद्यालय की गाईड लाईन तथा **COTPA ACT 2003** की जानकारी दी जाए ताकि विद्यालय व उसके आसपास का क्षेत्र तम्बाकू मुक्त रह सके।
16. समस्त विद्यालयों में 01 सितम्बर 2023 से 15 सितम्बर 2023 तक **"स्वच्छता पखवाड़ा"** अनिवार्य रूप मनाया जाए।
17. शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र (TAF) की प्रथम छःमाही डेटा प्रविष्ठि जुलाई से अगस्त–2023 तथा द्वितीय छःमाही डेटा प्रविष्ठि जनवरी से फरवरी–2024 (संभावित समय)
18. शाला–सिद्धि हेतु स्व मूल्यांकन हेतु संभावित समयावधि– जुलाई से अक्टूर–2023 तथा बाह्य मूल्यांकन हेतु संभावित समयावधि – अगस्त से दिसम्बर–2023
19. CCE/SIQE/FLN हेतु रचनात्मक आकलन सतत् रूप से सत्र पर्यन्त किया जाएगा।
20. अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा जिसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को – IFA नीली गोली एवं कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक विद्यार्थी को IFA गुलाबी गोली खिलाई जाएगी।

➢ **प्रवेश :–**

1. कक्षा–1 में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधानानुसार विद्यार्थियों की आयु 5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम वर्ष निर्धारित की गई है।
2. राज्य सरकार प्रवेश प्रक्रिया हेतु कोई निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है। आर.टी.ई. अधिनियम– 2009 के अनुसार बालक–बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश वर्ष पर्यन्त हो सकेगा।
3. राज्य कर्मचारी/माता–पिता/अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र के आधार पर विद्यार्थी को मध्य सत्र में प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. यदि परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गये परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किये जाते हैं, तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के सात दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के समय ही विद्यार्थियो को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।
5. हाउस होल्ड सर्वे में आउट ऑफ स्कूल (OoSc) के रूप में चिन्हित बालक–बालिकाओं की मेनस्ट्रीमिंग हेतु अनामांकित बालक–बालिकाओं के माता–पिता/अभिभांवकों से सम्पर्क कर उनका आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराना, उनके विशेष शिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना एवं आवश्यकतानुसार संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष शिक्षण की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाए।
6. ड्रॉपआउट एवं अनामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पश्चात, विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का फंक्शनल असेसमेन्ट करवाया जाकर, पात्र बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क अंग–उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे एवं होमबेस्ड एज्युकेशन से जोड़े गये बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।
7. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं मेवात बालिका आवासीय/वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों मे अनामांकित एवं ड्रॉपआउट बालिकाओं को प्रवेश दिलवाया जाएगा। पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों (PEEO)की बैठक में चर्चा कर उनके सहयोग से परिक्षेत्र की पात्र बालिकाओं का उक्त विद्यालयों में प्रवेश करवाया जाए।

8. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप विद्यालय की कुल सीटों की 5 प्रतिशत सीटों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को प्रवेशित किए जाने हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाएं।

➢ **प्रार्थना सभा :–**

प्रार्थना सभा कार्यक्रम हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है, जिसमें की जाने वाली गतिविधयां – राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार (स्वैच्छिक), प्राणायाम, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि हैं। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को प्रार्थना सभा में समस्त कार्मिक एवं विद्यार्थी तम्बाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ लेंगे।

➢ **विद्यालय प्रबन्धन :–**

विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SMC/SDMC) द्वारा किया जाएगा। विद्यालय के सुचारु संचालन के लिए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएगी :–

1. राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में सामान्य शैक्षिक, सह–शैक्षिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पूराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिए जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के कम्पोजिट स्कूल ग्रांट दिशा–निर्देश पत्रांकः रास्कूशिपा/जय/वै.शि./ /CSG दिशा–निर्देश /2020–21/13763 दिनांक : 17.08.2020 के अनुसार छात्र संख्या के आधार पर किए गए वित्तीय प्रावधानों के अनुसार इस राशि में से 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु निर्धारित की गई है। उपर्युक्त आदेश के तहत शौचालय/मूत्रालयों की साफ–सफाई, पेयजल सुविधा के रख–रखाव तथा मध्याह्न भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था एवं स्वच्छता हेतु स्वच्छता अनुदान राशि का उपयोग किया जाए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी की "शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम" के अन्तर्गत स्वास्थ्य जाँच की जाए तथा रिकॉर्ड संधारित किया जाए।
3. अक्टूबर–2023 से दिसम्बर–2023 तक आयोज्य SMC/SDMC प्रशिक्षण में समिति के सदस्यों के सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

➢ **कालांशवार विभाजन :–**

ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवधि में विद्यालय संचालन समयानुरूप अग्रांकित विवरणानुसार कालांशवार 8 कालांश हेतु रहेगा। प्रार्थना सभा तथा मध्यान्तर, प्रत्येक हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है। मध्यान्तर चौथे कालांश के पश्चात होगा।

समय सारिणी :–

एक पारी विद्यालयों हेतु समय सारिणी निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	विवरण	ग्रीष्मकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन	शीतकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन
1	समयावधि	1 अप्रेल से 30 सितम्बर	1 अक्टूबर से 31 मार्च
2	विद्यालय समय	7:30 बजे से 1:00 बजे तक (कुल 5:30 घंटे) (प्रत्येक कालांश 35 मिनट)	10:00 बजे से 4:00 बजे तक (कुल 6:00 घंटे) (01 से 06 कालांश 40 मिनट तथा 07 से 08 कालांश 35 मिनट)

1- नोट :– शैक्षिक गुणवत्ता एवं मनोविज्ञान के मद्देनजर कालांशों में विषय आवंटन काठिन्य स्तर के आधार पर इस प्रकार किया जाए कि अपेक्षाकृत कठिन विषय के बाद सरल विषय का कालांश हो। यथासंभव मुख्य विषयों का शिक्षण प्रथम छः कालांश में किया जाए। जहाँ तक संभव हो, समस्त विद्यालय एक पारी में चलाए जाएंगे। जो विद्यालय वर्तमान में दो पारी में चल रहे हैं तथा विद्यालय की परिस्थितिवश आगामी सत्र में भी दो पारी/ आंशिक दो पारी में संचालन आवश्यक है, उनके संस्था प्रधान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–प्रारम्भिक/

माध्यमिक को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)– प्रारम्भिक/ माध्यमिक परीक्षणोपरांत स्पष्ट अनुशंसा सहित जिले के समेकित प्रस्ताव सम्भागीय संयुक्त निदेशक को 15 जुलाई, 2023 तक प्रस्तुत करेंगे तथा सम्भागीय संयुक्त निदेशक सम्पूर्ण परिक्षेत्र के प्राप्त प्रस्तावों पर विभागीय निर्देशों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर 31 जुलाई, 2023 तक सकारण आदेश जारी कर निदेशालय (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को अवगति प्रदान करेंगे। प्रतिदिन 08 कालांश हेतु समक्ष विभाग चक्र तैयार किया जाएगा। प्रार्थना सभा (मय योगाभ्यास) तथा मध्यान्तर प्रत्येक 25 मिनट के होंगे। मध्यान्तर चौथे कालांश के पश्चात् होगा।

2- **दो पारी में संचालित विद्यालयों का समय :–**

क्र.सं.	अवधि	विद्यालय संचालन का समय
I.	1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक	प्रातः 7:00 से सांय 6:00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे) (प्रत्येक कालांश 35 मिनट)
II.	1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रातः 7:30 से सांय 5:30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.00 घंटे) (01 व 05 वा कालांश 35 मिनट शेष सभी कालांश 30 मिनट)

i. दो पारी विद्यालयों का कक्षा स्तर अनुसार संचालन निम्नांकित पारी क्रम में किया जाए :–

क्र.सं.	विद्यालय का प्रकार	पारी	पारी क्रम
1.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 8
2.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8
3.	उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 से 12)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 11 से 12 द्वितीय पारी कक्षा 9 से 10
4.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 6 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 1 से 5
5.	माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 10)	(दो पारी)	प्रथम पारी कक्षा 9 से 10 द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8

ii. दो पारी विद्यालय (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) के संस्था प्रधान का समय प्रातः 10:00 से सायं 5:00 बजे तक रहेगा तदनुसार विद्यालय कार्यालय का समय भी उक्तानुसार ही रहेगा। वे अपने स्तर पर स्वेच्छा से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे।

iii. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए की प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा से लाभान्वित हो, अतः रोटेशन के आधार पर प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जाए।

iv. यदि एक ही शाला परिसर में दो विद्यालय संचालित हो तथा दो पारी में संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो, तो माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम पारी में तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वितीय पारी में संचालित होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)– प्रारम्भिक/माध्यमिक अपने स्तर पर इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समन्वित विद्यालय, जो दो या दो से अधिक परिसर में संचालित हैं, में समान स्तर की समस्त कक्षाएं एक ही समय में (समान पारी में) संचालित की जाएगी।

➢ **सहशैक्षिक गतिविधियां :–**

1. समस्त सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया जाए।
2. सभी राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ''चाईल्ड राईट्स क्लब, वन एवं पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब, रोड सेफ्टी क्लब एवं ट्यूरिज्म क्लब व निदेशालय द्वारा समय–समय पर जारी क्लब गठन संबंधी निर्देशों के अनुरूप क्लब की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए तथा इनसे संबंधित गतिविधियों का संचालन आवश्यक रूप से किया जाए। तम्बाकू नियंत्रण हेतु TOBACO MONITER विभागीय निर्देशानुसार बनाए जाएं ।
3. सभी विद्यालय वार्षिकोत्सव एवं पूर्व विद्यार्थी एवं सम्भावित दानदाता सम्मेलन समग्र शिक्षा द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार मनाएंगे। समस्त विद्यालयों में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा शिविर अनिवार्यतः 30 नवम्बर से पूर्व आयोजित कर लिए जाए। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) एवं समाज सेवा शिविर के दौरान गांधी जी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों को सहज प्रवृत्ति एवं दैनिक वृत्ति के रूप में अंगीकार करने की सीख के विशेष संदर्भ में दैनिक जीवन में "स्वच्छता एवं साफ–सफाई की अनिवार्यता" विषयक उद्‌बोधन तथा सामूहिक श्रमदान द्वारा विद्यालय परिसर के सौंदर्यकरण एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियां अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जाए।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा संचालित विद्यालय आधारित मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 एवं 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास हेतु सुविधानुसार आयोजित प्रवृत्तियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
5. समस्त विद्यालयों मे "विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी)" एवं "विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एसडीएमसी)" की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रतिमाह अमावस्या के दिन ही आयोजित की जाएगी। ''समग्र शिक्षा अभियान सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ'' के प्लान के अनुसार "विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी)" एवं "विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एसडीएमसी)" की उक्त बैठकों को "समुदाय जागृति दिवस" के रूप में मनाया जाए। यदि अमावस्या के दिन विद्यालय में अवकाश हो तो इनका आयोजन अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा। "विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी)" एवं "विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एसडीएमसी)" हेतु गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप करवाया जाएगा।

➢ **प्रबोधन एवं प्रबन्धन :–**

1. एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर जिले के राजकीय/केन्द्रीय/निजी आदि समस्त विद्यालयों, जिनमें कक्षा 1–12 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाएं, यथा विद्यार्थियों/शिक्षकों/विद्यालयों की श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जाए। सभी शिक्षक/संस्था प्रधान यू–डाईस सूचना संकलन प्रपत्र की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करें।
2. कल्प कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब का रख–रखाव विद्यालय को समग्र शिक्षा अभियान से उपलब्ध कराई जा रही स्कूल फेसिलेटी ग्राण्ट/मैन्टीनेन्स ग्राण्ट से विद्यालय द्वारा करवाया जाए एवं लैब को सुरक्षित रखते हुए विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु प्रति सप्ताह अधिकतम दो–दो कालांश प्रति कक्षा लगवाए जाएं एवं विद्यालय में उपलब्ध ई–कन्टेन्ट (विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी) द्वारा सम्बलन प्रदान किया जाए।

➢ <u>उत्सव एवं अवकाश</u> :–

1. प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्यतः मनाए जाएं।
2. किसी भी सप्ताह में आने वाले उत्सवों को उसी सप्ताह के शनिवार (No bag day) के अन्य कार्यक्रम के साथ मनाया जाए।
3. 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं 02 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है।
4. 02 अक्टूबर का उत्सव उसी दिन ही मनाया जाए। इस दिन विद्यार्थियों द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित नाटक, कविता, अभिनय आदि गतिविधियां/क्रियाकलाप करवाए जाएं। गांधीजी के जीवन तथा गांधी दर्शन से सम्बन्धित डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में अथवा अन्य संदर्भ साहित्य से सम्बन्धित दृश्य सामग्री का प्रदर्शन विद्यार्थियों द्वारा गांधीजी के जीवन चरित्र एवं मूल्यों से प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से करवाया जाए।
5. मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों के मंत्रालयिक एव चतुर्थश्रेणी कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपभोग करेंगे।
6. प्रत्येक संस्था प्रधान इस पंचांग में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में दो दिवसों का अवकाश घोषित कर सकते हैं, जिनमें से एक मध्यावधि अवकाश से पहले एवं दूसरा मध्यावधि अवकाश के बाद किया जाए। संस्था प्रधान इसकी सूचना 31 जुलाई, 2023 से पूर्व नियन्त्रण अधिकारी को भेजें। अवकाश हेतु दिवसों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि महत्वपूर्ण विद्यालयी कार्यक्रम अप्रभावित रहें।
7. जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाश सम्बन्धित जिले के विद्यालय में मान्य होंगे।

<u>मूल्यांकन एवं परीक्षा</u> :–

1. कक्षा – 6 से 12 की परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षाएं इस पंचांग के अनुसार सम्पन्न की जाए तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 30 अप्रेल, 2024 को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। कक्षा–8 की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा तथा कक्षा–5 की प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय एवं कक्षा – 10 एवं 12 में वार्षिक परीक्षा के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा परीक्षा ली जाएगी उक्त बाबत संबंधित द्वारा पृथक से तिथियां घोषित की जाएगी।
2. कक्षा– 1 से 5 में SIQE के अन्तर्गत CCE के तहत तीन योगात्मक आकलन अग्रांकित विवरणानुसार सम्पादित किए जाएंगे :–

टर्म	पाठ्यक्रम विभाजन	योगात्मक आकलन आयोजन माह
प्रथम	लगभग 45 %	सितम्बर – 2023
द्वितीय	लगभग 40 %	जनवरी – 2024
तृतीय	लगभग 15 %	कक्षा 5 की "प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन" परीक्षा से पूर्व

कक्षा–05 हेतु तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर "प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन" का आयोजन किया जाएगा। जिसके लिए तिथियां पृथक से निर्धारित की जाएगी ।

3. परख अवधि में दिवस को आयोजित समस्त परख समाप्त होने के पश्चात शाला समय से पूर्व विद्यार्थियों को अगले दिवस परख की तैयारी हेतु छोड़ा जा सकता है, लेकिन शिक्षक/कर्मचारी पूरे समय तक उपस्थित रहेंगे।
4. सभी स्तर के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः एक तथा दो दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख तथा व्यवस्था संबंधित कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाश छोड़कर किया जाएगा।

5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों हेतु आवश्यकतानुसार विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाए।
6. एस.आई.क्यू.ई./सी.सी.ई. संचालित समस्त विद्यालयों में पारम्परिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा।
7. विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग के परिपत्र क्रमांकः प.14 (3) प्राशि/आयो/2014, जयपुर, दिनांकः 27.10.2014 की पालना की जाए।

➢ **पूरक परीक्षा :–**

माध्यमिक शिक्षा के अधीन कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षाओं का आयोजन 08 से 15 मई, 2024 तक किया जाए। परीक्षा परिणाम 16 मई, 2024 को घोषित कर प्रगति पत्र वितरित कर दिए जाएं।

"No Bag Day" –

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गत 20 फरवरी, 2020 को राज्य विधानसभा में बजट भाषण के दौरान शिक्षा विभाग से सम्बन्धित घोषणाओं (बिन्दु संख्या – 97) के अन्तर्गत समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार के दिन "No Bag Day" रखे जाने और उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं किए जाने बाबत निर्णय की घोषणा की गई थी। उक्त क्रम में इस सत्र :2023–24 से प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को "बस्ता मुक्त दिवस" मनाया जाना है ।
2. "No Bag Day" का उद्‌देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं अन्तर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन अध्यापन के पारम्परिक तरीकों से इत्तर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को आन्ददायी बनाना है।
3. इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी स्कूल बैग के बिना विद्यालय आएंगे।
4. यह दिवस विद्यालय के कार्य दिवसों में गिना जाएगा लेकिन विषयवार कालांश निर्धारण अलग से जारी किया जाएगा।
5. प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित निम्नलिखित गतिविधियां करवाई जानी है :–

क्र.सं.	शनिवार क्रमांक	थीम
1	माह का प्रथम शनिवार	राजस्थान का पहचानों
2	माह का द्वितीय शनिवार	भाषा कौशल विकास
3	माह का तृतीय शनिवार	खेलेगा राजस्थान–बढ़ेगा राजस्थान
4	माह का चतुर्थ शनिवार	मैं वैज्ञानिक बनूंगा
5	माह का पंचम शनिवार	बाल–सभा मेरे अपनों के साथ

6. "No Bag Day" के दिन आनंददायी तरीके से सीखने–सिखानें की प्रक्रिया कक्षावार न होकर निम्नांकितानुसार कक्षा समूहवार होगी।

क्र.सं.	समूह का नाम	कक्षा वर्ग
1	अंकुर	कक्षा 1 से 2
2	प्रवेश	कक्षा 3 से 5
3	दिशा	कक्षा 6 से 8
4	क्षितिज	कक्षा 9 से 10
5	उन्नति	कक्षा 11 से 12

7. 15 अगस्त, 26 जनवरी व 2 अक्टूबर के अतिरिक्त शिविरा पंचांग में दर्शाए गए/मनाए जाने वाले समस्त उत्सव जयन्तियां सम्मिलित है। वर्तमान सत्र में प्रत्येक शनिवार को "बस्ता मुक्त दिवस" ही

शिविरा पंचांग में सम्मिलित गतिविधियों/कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के आयोजन "No Bag Day" हेतु निर्धारित समय सारिणी में से 40 मिनट का समय निकालकर विद्यालय संचालन के अंतिम समय में आयोजित किए जाएंगे। 15 अगस्त, 26 जनवरी तथा 02 अक्टूबर के उत्सव पूर्व की भांति उसी दिन को ही मनाए जाएंगे।

8. सम्पूर्ण सप्ताह (सोमवार से रविवार) के दौरान पड़ने वाले उत्सवों/जयंतियों का विधिवत आयोजन सप्ताह में "बस्ता मुक्त दिवस" (शनिवार) को समारोहपूर्वक किया जांए, जिसके लिए रूप रेखा का निर्माण एवं पूर्व तैयारी सम्बन्धित शिक्षकों एवं आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विद्यार्थियों द्वारा उक्त शनिवार से पूर्व की जाए।
9. बस्ता मुक्त दिवस मनाए जाने के कारण समस्त बाल सभाएं, मासिक स्टाफ बैठक, अभिभावक–शिक्षक बैठक (PTM), SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक (वर्तमान में प्रतिमाह अमावस्या को आयोज्य), मीना–राजू/गार्गी मंच की बैठक इत्यादि कार्यक्रम भी **"बस्ता मुक्त दिवस" (शनिवार)** के अवसर पर आयोजित किया जाए। माह के अंतिम शनिवार को उत्सव/जयन्ती/बाल सभा आयोजित करने के उपरान्त समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा 40 मिनट स्वैच्छिक श्रमदान किया जाएगा।
10. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर तथा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT), उदयपुर तथा विभिन्न अभिकरणों इत्यादि एवं विभाग द्वारा समय–समय पर विद्यार्थियो में सृजनात्मक कौशल विकास तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं अभिरूचि विकास के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर शनिवार को ही आयोजित करवाई जाएं।
11. **"बस्ता मुक्त दिवस"** (शनिवार) के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सवों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सहशैक्षिक गतिविधियों यथा–खेलकूद, वाद–विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध–लेखन इत्यादि के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
12. प्रतिमाह एक बाल सभा में गांधीजी द्वारा प्रतिपादित "बुनियादी शिक्षां की अवधारणा" का ज्ञान विद्यार्थियों को देते हुए पारम्परिक घरेलू कुटीर उद्योग का व्यावहारिक प्रदर्शन करवाया जावे, जैसे मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाना, तकली कातना, चरखे का उपयोग इत्यादि। इस हेतु विद्यालय के आस–पास से आर्टिजन को विद्यालय में आमंत्रित किया जाकर प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने का प्रयास किया जाए।
13. विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को सहशैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए।
14. जेण्डर इक्विटी गतिविधि अन्तर्गत बालिका सशक्तिकरण हेतु समग्र शिक्षा द्वारा संचालित निम्नांकित दूरगामी और नियमित गतिविधियों को (शनिवारीय/गैर शनिवारीय गतिविधियों) निम्नानुसार संचालित किया जाए।

	पार्ट–1		
	गतिविधि	लाभान्वित वर्ग	समय–सीमा
1	किशोरी सशक्तीकरण की गतिविधियां मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच का संचालन	कक्षा 6 से 12 तक के समस्त विद्यार्थी	नो बैग डे के साथ
2	सुरक्षित एवं समावेशी विद्यालय वातावरण निर्माण एवं बाल सुरक्षा संरक्षा	कक्षा 1 से 12 तक के समस्त विद्यार्थी	प्रति माह द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को एक कालांश
3	साइबर सुरक्षा एवं जिम्मेदार नेटीजन	कक्षा 6 से 12 तक की समस्त बालिकाएं	प्रति सप्ताह एक कालांश
	पार्ट–2		
1	रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण	कक्षा 6 से 12 तक की समस्त बालिकाएं	15 दिवस प्रतिमाह (3 माह अगस्त से अक्टूबर में 45 दिवस निर्धारण)
	"उपरोक्त गतिविधियों नो–बैग–डे दिवस को आवश्यकतानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें"		

15. **No Bag Day को संचालित होने वाली अन्य गतिविधियाँ –**

क्र.स.	गतिविधि	समय सीमा
1.	एक भारत श्रेष्ठ भारत संबंधित गतिविधियों का आयोजन	प्रत्येक मांह का प्रथम शनिवार
2.	मानव क्लब गठित विद्यालयों में उपभोक्ता जागरूकता से सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन (कक्षा 09 से 12वीं के विद्यार्थियों हेतु) (समग्र शिक्षा)	माह का द्वितीय शनिवार
3.	निपुण भारत से संबंधित गतिविधियों का आयोजन	प्रत्येक माह के तृतीय व चतुर्थ शनिवार
4	सड़क सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों का आयोजन	जुलाई, सितम्बर, जनवरी माह के प्रथम शनिवार को कम से कम 2–2 घण्टे
5	गुड टच बैड टच के प्रति समझ बढाने से संबंधित गतिविधियों का आयोजन	जुलाई,अक्टुबर व जनवरी माह के तृतीय शनिवार को कम से कम 2–2 घण्टे।

16. जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम, IT लैब्स और e–ल़र्निंग की सुविधा है इनका अधिकतम् उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

....

शिविरा पंचांग : जुलाई–2023

रविवार	30	2	9	16	23
सोमवार	31	3	10	17	24
मंगलवार		4	11	18	25
बुधवार		5	12	19	26
गुरूवार		6	13	20	27
शुक्रवार		7	14	21	28
शनिवार	1	8	15	22	29
कार्य दिवस 25	रविवार 05		अवकाश 01	उत्सव 03	

3 जुलाई	गुरू पूर्णिमा (उत्सव)
08 जुलाई	सामुदायिक बाल सभा–विद्यालय स्तर पर
11 जुलाई	विश्व जनसंख्या दिवस (उत्सव) (RSCERT)
11 से 15 जुलाई	प्रवेशोत्सव–द्वितीय चरण का आयोजन, इस अवधि में संस्था प्रधान एवं शिक्षकगण अब तक प्रवेश से वंचित/हार्ड कोर समूह के बच्चों का प्रवेश विद्यालय/आंगनबाड़ी में करवाए जाने हेतु विशिष्ट कार्य योजना के तहत नामांकन वृद्धि अभियान संचालित करेंगे ।
15 जुलाई	SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्र पर्यन्त किए जाने वाले कार्यों हेतु आवश्यक लेखांकन प्रक्रिया पूर्ण करवाना।
22 जुलाई	सामुदायिक बाल सभा का आयोजन सार्वजनिक स्थल या चौपाल पर एवं PTM-I का आयोजन
23 जुलाई	लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जयन्ती (उत्सव)/
25 से 27	सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र/खेल छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया
29 जुलाई	मोहर्रम (अवकाश) (चन्द्र दर्शन के अनुसार)
जुलाई के चतुर्थ सप्ताह में	सत्रारम्भ की संस्था प्रधान वाक्पीठ(दो दिवस) (प्रा./उ.प्रा./मा./उ.मा. विद्यालय) का आयोजन ।

नोट :– विद्यालयों द्वारा वर्षा आरम्भ होते ही वृक्षारोपण का कार्य करना। (प्रथम चरण)

- SIQE/CCE के तहत किए जाने वाला मूल्यांकन 01 से 05 जुलाई के मध्य अथवा विद्यार्थी के प्रवेश लेने के आगामी दिवस को लिया जाए।
- **जून से जुलाई–** विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित हो (समग्र शिक्षा)
- **जुलाई–अगस्त में प्रवेशोत्सव के दौरान–** आपणी लाडो बालिकां शिक्षा का बढावा देने हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम (समग्र शिक्षा)
- जून जुलाई माह में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में संकाय व विषय चयन हेतु परामर्श देना।

शिविरा पंचांग : अगस्त–2023

रविवार		6	13	20	27
सोमवार		7	14	21	28
मंगलवार	1	8	15	22	29
बुधवार	2	9	16	23	30
गुरूवार	3	10	17	24	31
शुक्रवार	4	11	18	25	
शनिवार	5	12	19	26	
कार्य दिवस 24	रविवार 04		अवकाश 03		उत्सव 02

08 अगस्त	कृमि मुक्ति दिवस–समस्त विद्यार्थियों को डिवर्मिंग दवा (एल्बेंडाजॉल) खिलवाना।
08 अगस्त	रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता विद्यालय स्तर (RSCERT)
09 अगस्त	विश्व आदिवासी दिवस (अवकाश)
12 अगस्त	सामुदायिक बाल सभा–विद्यालय स्तर पर
15 अगस्त	स्वतंत्रता दिवस (अवकाश–उत्सव अनिवार्य)।
16 अगस्त	SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से सत्र पर्यन्त किए जाने वाले कार्यों हेतु आवश्यक निविदा कार्यवाही सम्पन्न करना।
20 अगस्त	सद्भावना दिवस–राजीव गांधी जयन्ती
23–25 अगस्त	प्रथम परख का आयोजन
26 अगस्त	सामुदायिक बाल सभा का आयोजन सार्वजनिक स्थल या चौपाल पर
30 अगस्त	रक्षा बन्धन (अवकाश)
31 अगस्त	संस्कृत दिवस (उत्सव)

नोटः–

- जिला स्तरीय कला उत्सव (विद्यार्थियों के लिए)–अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में (समग्र शिक्षा)
- विद्यालयों द्वारा वृक्षारोपण का कार्य करना। (द्वितीय चरण)

शिविरा पंचांग : सितम्बर–2023

रविवार		3	10	17	24
सोमवार		4	11	18	25
मंगलवार		5	12	19	26
बुधवार		6	13	20	27
गुरूवार		7	14	21	28
शुक्रवार	1	8	15	22	29
शनिवार	2	9	16	23	30

कार्य दिवस 23 | रविवार 04 | अवकाश 03 | उत्सव 05

02 सितम्बर	सामुदायिक बाल सभा–विद्यालय स्तर पर
5 सितम्बर	शिक्षक दिवस (उत्सव)– राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अन्तर्गत शिक्षक दिवस पर झण्डियों की बिक्री का शुभारम्भ
02 से 06 सितम्बर	आयु वर्ग–14/17/19 वर्ष (छात्र–छात्रा) हेतु प्रथम समूह/प्रथम चरण की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (14/17/19 हेतु अधिकतम 05दिन)।
7 सितम्बर	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (अवकाश–उत्सव)
8 सितम्बर	विश्व साक्षरता दिवस (उत्सव),
11 से 12 सितम्बर	रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता जिला स्तर (RSCERT)
10 से 14 सितम्बर	आयु वर्ग–14/17/19 वर्ष (छात्र–छात्रा) हेतु द्वितीय समूह/जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (14/17/19 हेतु अधिकतम 05दिन)।
14 सितम्बर	हिन्दी दिवस (उत्सव), सामुदायिक बाल सभा आयोजन (विद्यालय परिसर में)
14 से 17 सितम्बर	प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता (ब्लॉक स्तरीय)
15 से 16 सितम्बर	तहसील स्तरीय शिक्षक क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं
17 से 21 सितम्बर	आयु वर्ग–14/17/19 वर्ष (छात्र–छात्रा) हेतु तृतीय समूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (14/17/19 हेतु अधिकतम 05दिन)।
18 से 23 सितम्बर	आयु वर्ग–14/17/19 वर्ष (छात्र–छात्रा) हेतु प्रथम समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (14/17/19 हेतु अधिकतम 05दिन)।
22 से 24 सितम्बर	प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता (जिला स्तरीय)
22 से 23 सितम्बर	जिला स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता
23 सितम्बर	किशोर जागृति दिवस (RSCERT)
25 सितम्बर	रामदेव जयन्ती /तेजा दशमी एवं खेजडली शहीद दिवस (अवकाश–उत्सव)
26 से 1 अक्टूबर	आयु वर्ग–14/17/19 वर्ष (छात्र–छात्रा) हेतु द्वितीय समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (14/17/19 हेतु अधिकतम 05दिन)।
28 सितम्बर	बारावफात (अवकाश)(चन्द्र दर्शन के अनुसार)
सितम्बर (अंतिम सप्ताह)	विद्यालय स्तरीय विज्ञान मेला (एक दिवस) **(RSCERT)**
30 सितम्बर	1. राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अन्तर्गत झंडियों की बिक्री से प्राप्त राशि का बैंक ड्राफ्ट सचिव, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से बनाकर प्रेषित करना । 2. SDMC की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप विद्यार्थी कोष/विकास कोष के माध्यम से किए जाने वाले कार्य/क्रय कार्यवाही पूर्ण करना। 3. सामुदायिक बाल सभा का आयोजन सार्वजनिक स्थल या चौपाल पर

नोट–

- प्रथम योगात्मक आकलन का आयोजन–CCE /SIQE संचालित विद्यालयों में (माह के अन्तिम सप्ताह में)।
- 24 सितम्बर – राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस (जिन विद्यालयों में यह योजना संचालित है)।
- विद्यालय स्तरीय कला उत्सव (विद्यार्थियों के लिए)–सितम्बर के द्वितीय सप्ताह में (समग्र शिक्षा)
- एसएलएएस (स्टेट लेवल अचीव मेंट सर्वे) बेसलाईन सितम्बर माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित किया जाएगा।
- मा.शि.बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का ब्लॉक स्तर पर आयोजन।

शिविरा पंचांग : अक्टूबर–2023

रविवार	1	8	15	22	29
सोमवार	2	9	16	23	30
मंगलवार	3	10	17	24	31
बुधवार	4	11	18	25	
गुरूवार	5	12	19	26	
शुक्रवार	6	13	20	27	
शनिवार	7	14	21	28	
कार्य दिवस 24	रविवार 05		अवकाश 04	उत्सव 03	

1 अक्टूबर	विद्यालय समय परिवर्तन – 1. एक पारी विद्यालय – प्रातः 10:00 से 04:00 बजे तक। 2. दो पारी विद्यालय – प्रातः 07:30 से सायं 05:30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5:00 घंटे)
2 अक्टूबर	महात्मा गांधी जयंती (अवकाश उत्सव) व लाल बहादुर शास्त्री जयंती (उत्सव)
3 से 8 अक्टूबर	आयु वर्ग–14/17/19 वर्ष (छात्र–छात्रा) हेतु तृतीय समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (14/17/19 हेतु अधिकतम 05दिन)।
3 से 5 अक्टूबर	जिला स्तरीय विज्ञान मेला (RSCERT)
07 अक्टुबर	सामुदायिक बाल सभा–विद्यालय स्तर पर
10 अक्टूबर	विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (समग्र शिक्षा)
11 अक्टुंबर	अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस (उत्सव)
11 से 12 अक्टूबर	रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर (RSCERT)
13 अक्टूबर	विश्व दृष्टि दिवस (समग्र शिक्षा)
13 से 14 अक्टूबर	जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन
15 अक्टुबर	नवरात्रा स्थापना (अवकाश) एवं महाराजा अग्रसेन जयन्ती
19 से 21 अक्टूबर	**द्वितीय परख**
22 अक्टुबर	दुर्गाष्टमी (अवकाश)
24 अक्टूबर	विजयदशमी (अवकाश)
25 से 29 अक्टूबर	आयु वर्ग–17/19 वर्ष (छात्र–छात्रा) हेतु चतुर्थ समूह की जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (अधिकतम 05दिन)
28 अक्टुबर	सामुदायिक बाल सभा का आयोजन सार्वजनिक स्थल या चौपाल पर
31 अक्टूबर	सरदार वल्लभ भाई पटेल जयन्ती (राष्ट्रीय एकता दिवस) इन्दिरा गांधी पुण्य तिथि (संकल्प दिवस)

नोट– मा.शि.बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का जिला स्तर पर आयोजन।

शिविरा पंचांग : नवम्बर–2023

रविवार		5	12	19	26
सोमवार		6	13	20	27
मंगलवार		7	14	21	28
बुधवार	1	8	15	22	29
गुरूवार	2	9	16	23	30
शुक्रवार	3	10	17	24	
शनिवार	4	11	18	25	
कार्य दिवस 14	रविवार 04		अवकाश 14	उत्सव 05	

01 से 06 नवम्बर	आयु वर्ग–17/19 वर्ष (छात्र–छात्रा) हेतु चतुर्थ समूह की राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (अधिकतम 05दिन)
04 नवम्बर	सामुदायिक बाल सभा का आयोजन सार्वजनिक स्थल या चौपाल पर
07 से 19 नवम्बर	**मध्यावधि अवकाश**
11 नवम्बर	राष्ट्रीय शिक्षा दिवस (उत्सव)
12 नवम्बर	दीपावली (अवकाश)
13 नवम्बर	गोवर्धन पूजा (अवकाश)
14 नवम्बर	बाल दिवस (पं. जवाहर लाल नेहरू जयन्ती)–(उत्सव),बाल समारोह का आयोजन (समग्र शिक्षा)
15 नवम्बर	भाई दूज अवकाश
19 नवम्बर	श्रीमती इन्दिरा गांधी जयन्ती (उत्सव)
19 नवम्बर	एनएमएमएस परीक्षा 2023–24 **(RSCERT)**
19 से 25 नवम्बर	कौमी एकता सप्ताह का आयोजन।
22 से 25 नवम्बर	राज्य स्तरीय विज्ञान मेला **(RSCERT)**
24 नवम्बर	कालिदास जयन्ती
25 नवम्बर	PTM-II (माँ–शिक्षक बैठक – MTM) का आयोजन एवं सामुदायिक बाल सभा–विद्यालय स्तर पर
26 नवम्बर	संविधान दिवस (उत्सव)
27 नवम्बर	गुरू नानक जयन्ती (अवकाश)

नोट– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा–

(अ)राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा,

(ब) राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा,

(स) राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन ।

शिविरा पंचांग : दिसम्बर–2023

रविवार	31	3	10	17	24
सोमवार		4	11	18	25
मंगलवार		5	12	19	26
बुधवार		6	13	20	27
गुरूवार		7	14	21	28
शुक्रवार	1	8	15	22	29
शनिवार	2	9	16	23	30
कार्य दिवस 20		रविवार 05	अवकाश 7	उत्सव 01	

01 दिसम्बर	विश्व एकता दिवस (उत्सव), विश्व एड्स दिवस (RSCERT)
03 दिसम्बर	विश्व विशेष योग्यजन दिवस (समग्र शिक्षा)
05 – 06 दिसम्बर	मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता हेतु जिला स्तर पर चयन
09 दिसम्बर	सामुदायिक बाल सभा–विद्यालय स्तर पर
10 दिसम्बर	मानव अधिकार दिवस (उत्सव)
11–23 दिसम्बर	अर्द्ध वार्षिक परीक्षा का आयोजन*
25 दिसम्बर	क्रिसमस डे (अवकाश)
25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर (05जनवरी तक जारी)	शीतकालीन अवकाश (विभाग के समस्त आहरण – वितरण अधिकारियों द्वारा राज्य कर्मचारियों के हितकारी निधि के वार्षिक अंशदान हेतु माह दिसम्बर के वेतन से निर्धारित दर पर कटौती की कार्यवाही सुनिश्चित करना)
26 से 27 दिसम्बर	राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु पूर्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन
27 से 30 दिसम्बर	मंत्रालयिक कर्मचारी खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का राज्य स्तर पर आयोजन।
30 से 31 दिसम्बर	राज्य स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता।

नोट–

- जिन विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई संचालित है, उन विद्यालयों में सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन शीतकालीन अवकाश के दौरान ही किया जाए।
- *राज्य विधान सभा हेतु निर्वाचन प्रक्रिया कार्यक्रम के अनुसार यथा आवश्यकता संशोधन किया जा सकता है।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व उन्नयन एवं कौशल शिविर का आयोजन।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा शिक्षकों व्यावसायिक कौशल एवं उन्नयन प्रतियोगिता जिला स्तर पर आयोजन।
- व्यावसायिक शिक्षा में कक्षा–11 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु ऑन जॉब ट्रेनिंग शीतकालीन अवकाश में (समग्र शिक्षा)
- शीतकालीन अवकाश के दौरान व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों हेतु ऑन जॉब ट्रेनिंग का आयोजन (समग्र शिक्षा)

शिविरा पंचांग : जनवरी–2024

रविवार		7	14	21	28
सोमवार	1	8	15	22	29
मंगलवार	2	9	16	23	30
बुधवार	3	10	17	24	31
गुरूवार	4	11	18	25	
शुक्रवार	5	12	19	26	
शनिवार	6	13	20	27	
कार्य दिवस 20	रविवार 04		अवकाश 07	उत्सव 05	

01 से 05 जनवरी	**शीतकालीन अवकाश जारी**
04 जनवरी	विश्व ब्रेल दिवस
05.01.2024 से 20.01. 2023	1. वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह (विद्यालय स्तर पर) आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में। 2. पूर्व विद्यार्थी एवं संभावित दानदाता सम्मेलन 2023–24 (विद्यालय स्तर) (वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह से पूर्व)
10 जनवरी	विश्व हिन्दी दिवस
09 से 11 जनवरी	रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर (RSCERT)
12 जनवरी	स्वामी विवेकानन्द जयन्ती (राष्ट्रीय युवा दिवस–उत्सव), "केरियर डे"
13 जनवरी	PTM-III का आयोजन, सामुदायिक बाल सभा का आयोजन –(विद्यालय परिसर में) अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणामों को अभिभावकों को प्रदर्शित करना
15 जनवरी	मकर सक्रान्ति (उत्सव)
17 जनवरी	गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती(अवकाश– उत्सव)
19–20 जनवरी	राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन
23 जनवरी	सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती, देश प्रेम दिवस (उत्सव)
24 जनवरी	राष्ट्रीय बालिका दिवस (उत्सव)
26 जनवरी	गणतंत्र दिवस (अवकाश–उत्सव अनिवार्य), (उत्सव),
27 जनवरी	सामुदायिक बाल सभा आयोजन –सार्वजनिक स्थल/चौपाल पर
30 जनवरी	शहीद दिवस (प्रातः 11.00 बजे दो मिनट का मौन)(महात्मा गांधी पुण्य तिथि)

नोट–

- द्वितीय योगात्मक आकलन का आयोजन–CCE /SIQE संचालित विद्यालयों में (माह के अन्तिम सप्ताह में)।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल उन्नयन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन ।
- राष्ट्रीय स्तरीय कला उत्सव (विद्यार्थियों के लिए)जनवरी के प्रथम सप्ताह में (समग्र शिक्षा)
- एसएलएएस (स्टेट लेवल अचीव मेंट सर्वे) एंडलाईन जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा।

शिविरा पंचांग : फरवरी–2024

रविवार		4	11	18	25
सोमवार		5	12	19	26
मंगलवार		6	13	20	27
बुधवार		7	14	21	28
गुरूवार	1	8	15	22	29
शुक्रवार	2	9	16	23	
शनिवार	3	10	17	24	
कार्य दिवस 25	रविवार 04		अवकाश 00	उत्सव 02	

03 फरवरी	सामुदायिक बाल सभा–विद्यालय स्तर पर
13 फरवरी	सेफर इन्टरनेट डे (Safer Internet Day) का आयोजन (RSCERT)
14 फरवरी	बसन्त पंचमी सरस्वती जयंती(उत्सव) गार्गी पुरस्कार वितरण।
फरवरी के द्वितीय सप्ताह में	सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्‌पीठ (प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि) का आयोजन (12 से 17 फरवरी की अवधि में) (दो दिवस)
20 से 22 फरवरी	**तृतीय परख का आयोजन**
24 फरवरी	सामुदायिक बाल सभा का आयोजन – सार्वजनिक स्थल/चौपाल पर तृतीय परख की प्रगति से अवगत करवाया जाना।
28 फरवरी	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (उत्सव)

शिविरा पंचांग : मार्च–2024

रविवार	31	3	10	17	24
सोमवार		4	11	18	25
मंगलवार		5	12	19	26
बुधवार		6	13	20	27
गुरूवार		7	14	21	28
शुक्रवार	1	8	15	22	29
शनिवार	2	9	16	23	30
कार्य दिवस	23	रविवार 05	अवकाश 04		उत्सव 03

03 मार्च	विश्व श्रवण दिवस (समग्र शिक्षा)
05 मार्च	स्वामी दयानन्द सरस्वती जयन्ती (उत्सव)
08 मार्च	महाशिवरात्री (अवकाश), विश्व महिला दिवस (उत्सव) (RSCERT)
15 मार्च	विश्व उपभोक्ता दिवस (उत्सव)
17 मार्च	विश्व दिव्यांग दिवस
24 मार्च	होलिका दहन (अवकाश)
25 मार्च	धूलन्डी (अवकाश)
29 मार्च	गुड–फ्राइडे (अवकाश)
30 मार्च	राजस्थान दिवस (उत्सव)

शिविरा पंचांग : अप्रेल–2024

रविवार		7	14	21	28
सोमवार	1	8	15	22	29
मंगलवार	2	9	16	23	30
बुधवार	3	10	17	24	
गुरूवार	4	11	18	25	
शुक्रवार	5	12	19	26	
शनिवार	6	13	20	27	
कार्य दिवस 23	रविवार 04		अवकाश 05	उत्सव 02	

01 अप्रेल	**विद्यालय समय परिवर्तन–** 1.एक पारी विद्यालय – प्रातः 07:30 से दोपहर 01:00 बजे तक। 2.दो पारी विद्यालय – प्रातः 07:00 से सायं 06:00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5:30 घंटे)
07 अप्रेल	विश्व स्वास्थ्य दिवस (RSCERT)
10 अप्रेल	चेटीचण्ड (अवकाश –उत्सव)
11 अप्रेल	ईदुल फितर चन्द्र दर्शन अनुसार (अवकाश)
08 से 25अप्रेल	वार्षिक परीक्षा का आयोजन
14 अप्रेल	डॉ0 बी. आर. अम्बेडकर जयन्ती–ज्ञान दिवस (अवकाश –उत्सव)
17 अप्रेल	श्री रामनवमी (अवकाश)
21 अप्रेल	श्री महावीर जयन्ती (अवकाश)
27 अप्रेल	विद्यालय में आगामी सत्र हेतु प्रवेश प्रक्रिया का आरम्भ एवं नामांकन हेतु विद्यार्थियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ।
30 अप्रेल	वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा परीक्षा परिणांमों की प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को समीक्षा हेतु प्रेषित करना। सामुदायिक बाल सभा का आयोजन –सार्वजनिक स्थल/चौपाल पर। संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक लेकर सत्रपर्यन्त हुए कार्यो की समीक्षा करना एवं आगामी सत्र की विद्यालय योजना हेतु विचार–विमर्श कर निर्णय लेना तथा योजना संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना। अभिभावक–अध्यापक बैठक (PTM-IV) एवं SDMC/SMC की साधारण सभा का संयुक्त रूप से आयोजन एवं करणीय कार्यो के संबंध में प्रस्ताव पारित करना।

नोटः– SIQE संचालित विद्यालयों में कक्षा 5 हेतु सम्बन्धित जिले की तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर **"प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन"** किया जाएगा,जिसकी तिथियां पृथक से घोषित की जाएगी। कक्षा– 01 से 04 में तृतीय योगात्मक आकलन का आयोजन उक्त मूल्यांकन से पूर्व किया जाएगा।

शिविरा पंचांग : मई–2024

रविवार		5	12	19	26
सोमवार		6	13	20	27
मंगलवार		7	14	21	28
बुधवार	1	8	15	22	29
गुरूवार	2	9	16	23	30
शुक्रवार	3	10	17	24	31
शनिवार	4	11	18	25	
कार्य दिवस 13	रविवार 04		अवकाश 16		उत्सव 01

01 मई	नवीन सत्र 2024–25 प्रारम्भ (परीक्षा परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों का चिह्नीकरण कर उपचारात्मक शिक्षण प्रारम्भ)
01 से 16 मई	प्रवेशोत्सव प्रथम चरण आरम्भ
07 मई	रवीन्द्र नाथ टैगोर जयन्ती (उत्सव)
08 से 15 मई	पूरक परीक्षा का आयोजन (कक्षा – 09 व 11 हेतु)
10 मई	परशुराम जयन्ती (अवकाश)
11 मई	सामुदायिक बाल सभा का आयोजन – सार्वजनिक स्थल/चौपाल पर
16 मई	पूरक परीक्षा परिणाम घोषणा एवं प्रगति पत्र वितरण।
17 मई से 31 मई	ग्रीष्मावकाश
नोट :–	संस्था प्रधान ग्रीष्मावकाश में मुख्यालय से बाहर हों, तो वह विद्यार्थियों को टी0सी0 जारी करने हेतु मुख्यालय पर रहने वाले वरिष्ठतम शिक्षक को टी0सी0 पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करावें तथा इसका अनुमोदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से कराकर संबंधित को पाबन्द करें, ताकि विद्यार्थियों को टी0सी0 प्राप्त करने में कोई असुविधा न हों।

नोटः–ग्रीष्मकालीन अवकाश 2024 – व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार प्रसार एवं नवीन विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु काउंसलिग कार्य (समग्र शिक्षा)

शिविरा पंचांग : जून–2024

रविवार	30	2	9	16	23
सोमवार		3	10	17	24
मंगलवार		4	11	18	25
बुधवार		5	12	19	26
गुरूवार		6	13	20	27
शुक्रवार		7	14	21	28
शनिवार	1	8	15	22	29
कार्य दिवस 06	रविवार 05		अवकाश 23		उत्सव 02

01 से 23 जून	ग्रीष्मकालीन अवकाश जारी।
09 जून	महाराणा प्रताप जयन्ती (अवकाश – उत्सव)
17 जून	ईदुल–जुहा (अवकाश) चन्द्र दर्शन अनुसार
21 जून	अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस (उत्सव) : समस्त विद्यालयों में प्रातः 7 से 8 बजे योग दिवस उत्सव का आयोजन।
24 से 30 जून	**प्रवेशोत्सव–द्वितीय चरण का आयोजन।** इस अवधि में संस्था प्रधान एवं शिक्षकगण हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर अब तक प्रवेश से वंचित/हार्ड कोर समूह के बच्चों का प्रवेश विद्यालय/आंगनबाड़ी में करवाए जाने हेतु विशिष्ट कार्य योजना के तहत नामांकन वृद्धि अभियान संचालित करेंगे । संस्था प्रधान द्वारा समस्त स्टाफ से नवीन समय विभाग चक्र के अनुरूप सम्पूर्ण शैक्षिक सत्र के लिए कक्षा शिक्षण हेतु विषय योजना का निर्माण करवाया जाकर योजना का परिवीक्षण किया जाएगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को टी.सी./नव प्रवेशित विद्यार्थियों का एस.आर. रजिस्टर में पंजीयन सम्बन्धी कार्यों का समुचित निष्पादन किया जाएगा।
28 जून	भामाशाह जयन्ती (उत्सव),राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन।

नोटः–

- **ग्रीष्मकालीन अवकाश 2024–** व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार प्रसार एवं नवीन विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु काउंसलिग कार्य (समग्र शिक्षा)
- **जून से जुलाई–** विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित हो (समग्र शिक्षा)
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का राज्य स्तर पर आयोजन।
- **जून जुलाई माह में** कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में संकाय व विषय चयन हेतु परामर्श देना।